प्रेस नोट **13/07/2024**

<u>दिनांक 03.07.2024 की रात थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत जयरामगढ में हुई भाई द्वारा बहन को कुल्हाडी मारकर घायल कर देने तथा बाद में घायल महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने मामले में संलिप्त एक अभियुक्त(मृतका का भाई) गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल कुल्हाडी बरामद-</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस को उस समय अहम सफतला हाथ लगी जब आज दिनांक 13.07.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये दिनांक 04.07.2024 वादी जसवन्त पुत्र गायत्री देवी निवासी जयरामगढ़ थाना कोपागंज जनपद मऊ के प्रार्थना पत्र मु0अ0स0 175/24 धारा 3(5)/103 बी0एन0एस बनाम 1. निकलेश राम पुत्र स्व0 भगवान दास 2. मंजू देवी पत्नि निकलेश राम 3. प्रिया 4. प्रिन्श 5. प्रियांशु पुत्रगण निवासीगण ग्राम जयरामगढ़ थाना कोपागंज जनपद मऊ हत्या के प्रयास का मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना कोपागंज द्वारा सम्पादित की जा रही है दिनांक 05.07.2024 को मजरूबा गायत्री देवी वादी मुकदमा की मां की इलाज के दौरान BHU ट्रामा सेन्टर वाराणसी में मृत्यु हो गयी। मुकदमा उपरोक्त धारा 103(1) बीएनएस में तरमीम किया गया। विवेचना के दौरान जिसके पश्चात मुकदमा उपरोक्त की विवेचना गहनता से की गयी विवेचना से उपरोक्त घटना के मृतका गायत्री देवी का भाई मिथिलेश कुमार पुत्र स्व.भगवान दास निवासी जयरामगढ़ थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र 33 वर्ष के द्वारा कारित करना पाया गया। जिसका नाम विवेचना से प्रकाश में आया। आज दिनांक 13.07.24 को अभियुक्त से घटना कारित के करने के सम्बन्ध में कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि मेरी बहन गायत्री देवी मेरे मां से उसके हिस्से की जमीन लिखवा ली थी जिस कारण मेरे बड़े भाई निकलेश से मेरी बहन भांजा व मेरा विवाद चलता था जिस कारण हमेश हम लोग एक दूसरे पर मुकदमा लिखवाते रहते थे। मेरा मन इसी से ब्यथित हो गया व घटना के दिनांक 03.07.2024 को रात्रि में करीब 01.00 बजे मै कुल्हाड़ी से अपनी बहन गायत्री देवी के गर्दन व चेहरे पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था इसके बाद करीब 01 घंटे बाद सड़क पर जाकर हल्ला मचाया तब गांव के लोगो के आने पर उसे उसे इलाज के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सदर अस्पताल मऊ व ट्रामा सेन्टर बी.एच.यू ले जाया गया जहां दिनांक 05.07.2024 को मृत्यु हो गयी। इसके बाद मैं अपने भांजे जशवंत से कहकर बड़े भाई निकलेश भाभी मंजू व उनके बच्चो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करा दिया ताकि वे जेल चले जाये बहन की मृत्यु हो जाये तथा भांजा डर कर गांव छोड़कर भाग जाये तथा पूरी जमीन पर मेरा कब्जा हो जाये।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मिथिलेश कुमार पुत्र स्व.भगवान दास निवासी जयरामगढ़ थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. एक अदद् कुल्हाड़ी।

आपारधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 78/17 352/323/504/506 भादवि0 थाना कोपागंज मऊ।
2. मु0अ0स0 322/20 धारा 323/504/506/120बी भादवि0 थाना कोपागंज मऊ।
3. मु0अ0स0 420/19 धारा 147/323/352/504/506 भादवि. थाना कोपागंज मऊ।
4. मु0अ0स0 160/24 धारा 323/406/504/506 भादवि. थाना कोपागंज मऊ।
5. मु0अ0स0 196/21 धारा 34/323/506/498ए भादवि. 3/4 पाक्सो एक्ट थाना घोसी मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

प्रभारी नि0 कोपागंज नवल किशोर सिंह, का0 मंजीत कुमार, का0 अरविन्द गुप्ता थाना कोपागंज मऊ।

चोरी के जेवरात (सफेद/पीली धातु), 5500 रुपये तथा एक अदद मोटरसाईकिल के साथ एक अन्तर्जनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 1/2.07.2024 की रात्री थाना दोहरीघाट के ग्राम गोठा में हुई चोरी का सफल अनावरण संबंध में थाना दोहरीघाट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 12.07.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर औराडाड बार्डर रामनगर के पास से अभियुक्त नारद पुत्र बनारसी पाल ग्राम डाला थाना रुदलपुर जनपद देवरिया के कब्जे से चोरी की एक अदद हार, एक सेट झुमका, एक अदद मांग टीका, एक अदद नथिया, एक पीस अंगुठी (पीली धातु), दो पीस हाथ पलानी व 5500 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल सुपर स्प्लेण्डर (यूपी53सीके4961) बरामद कर किया गया। जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 136/24 धारा 331, 305 317(2) बीएनएस से संबंधित पाये गये। उक्त अभयुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया। बरामद मोटरसाईकिल को सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नारद पुत्र बनारसी पाल ग्राम डाला थाना रुदलपुर जनपद देवरिया।

बरामदगी-

1. एक अदद हार, एक सेट झुमका, एक अदद मांग टीका, एक अदद नथिया, एक पीस अंगुठी (पीली धातु), दो पीस हाथ पलानी (सफेद धातु)।
2. चोरी के 5500 रुपये।
3. एक अदद मोटरसाईकिल सुपर स्प्लेण्डर (यूपी53सीके4961)।

जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 13.07.2024 को जनपद के समस्त थानों पर समाधान/थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा थाना कोतवाली नगर में उपस्थित रह जनशिकायतों को सुना गया तथा इसके समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कुल 14 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण कराया गया तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराकर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

05 शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी के 1400 रुपये , केविल(तार), मोटर बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीपुर पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 13.07.2024 को

देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पुर्वांचल एक्सप्रेसवे के अण्डरपास के पास से अभियुक्तगण मुकेश कुमार पुत्र श्रीमल राम निवासी बल्लाई थाना दक्षिणटोला, रोशन कुमार पुत्र सितलू राम निवासी हरपुर नीबीताला, शमीम पुत्र हनीफ निवास अहिलाद, अरमान पुत्र सफीक निवासी हरपुर, अजय कुमार पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय निवासी अहिलाद थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कब्जे से चोरी के एक अदद मोनो ब्लाक पानी का मोटर, एक अदद गैस चूल्हा, एक अदद रेगुलेटर व काले रंग की केविल (तार) तथा 1400 रुपये बरामद किया गया। जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 51/24 धारा 380,411,413,414 भादवि, मु0अ0सं0 70/24 धारा 380,411,413,414 भादवि व मु0अ0सं0 84/24 धारा 457,380,411,413,414 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. मुकेश कुमार पुत्र श्रीमल राम निवासी बल्लाई थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।
2. रोशन कुमार पुत्र सितलू राम निवासी हरपुर नीबीताला थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. शमीम पुत्र हनीफ निवास अहिलाद थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. अरमान पुत्र सफीक निवासी हरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
5. अजय कुमार पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय निवासी अहिलाद थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. अदद मोनो ब्लाक पानी का मोटर।
2. एक अदद गैस चूल्हा, एक अदद रेगुलेटर।
3. काले रंग की केविल (तार)।
4. चोरी के 1400 रुपये।

पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुकत गिरफ्तार-

आज दिनांक 13.07.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर धवरिया मोड़ के पास से मु0अ0सं0 182/24 धारा 65(2),352,351(3) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त मुहम्मद तैयब उर्फ टेल्लू पुत्र मुहम्मद असहज निवासी इस्लामपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

मऊ। आज दिनांक 13.07.2024 को समय करीब 02:30 बजे थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत कल्यानपुर में एक ट्रक (यूपी78जीटी9903) द्वारा एक स्कुली बस में टक्कर मारने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुचकर घायलो को इलाज हेतू अस्पताल भिजवाया गया। तथा मौके पर शांति है।